

5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

556072



OFFICE OF
CHIEF TREASURY
12 9 SEP 2005
MEERUT



विलम्बा

इसके सिटी एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सन्सिपल्टी 47/एम-1, जवाहर ब्वाटर्स, बेगम बिज, मेरठ द्वारा सोफ्टवेरी डाटा जीम प्रकारा पुत्र स्व0 श्री फकीर चन्द निवासी 47/एम-4, जवाहर ब्वाटर्स, बेगम बिज, मेरठ फरीक अजल

व


मेरठ इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी 47/एम-1, जवाहर ब्वाटर्स, बेगम बिज, मेरठ द्वारा सधिय श्री विष्णु शरमा पुत्र स्व0 श्री चन्दसेन अजवाल निवासी 47/एम-1, जवाहर ब्वाटर्स, मेरठ फरीक सोयम

जोकि आराजी भूमिधरी एकबई 0.4050 हेक्टर सरसरा नं. 160 एकबई 0.472 हेक्टर निम्नत प्राग रामपुर पाथी परगना सहनील व जिला मेरठ का एक विक्रय पत्र, फरीक अजल ने फरीक सोयम के नाम सहरीर व तकनील करके दिनांक 18.9.2005 को रजिस्ट्री किया था। कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार तृतीय मेरठ में 18.9.2005 को ताल्य प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड 2013 के पृष्ठ 37/52 पर क्रम संख्या 7744 पर

[Handwritten signature]

क्रमा 2 पर

[Handwritten signature]



हुई है। उक्त विक्रय पत्र में भूलवशा मेरठ इन्सटीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर्स, बेगम डिज, मेरठ द्वारा सचिव श्री विष्णु शरण पुत्र स्व० श्री चन्द्रसेन अग्रवाल निवासी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर्स, मेरठ लिखा गया था जबकि वास्तव में मेरठ इन्सटीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी बागपत क्रॉसिंग, मेरठ बाईपास मेरठ द्वारा सचिव श्री विष्णु शरण पुत्र स्व० श्री चन्द्रसेन अग्रवाल निवासी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर्स, मेरठ लिखा जाना था। जिसका सुदिकरण होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः दोनों पक्ष अपनी खुशी, रजामन्दी, गुद, बुद्धि, स्वस्थ इन्टिमी से बिना किसी पहचाने व धमकाव को प्रभावित होते हुए उक्त विक्रय पत्र में मेरठ इन्सटीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर्स, बेगम डिज, मेरठ के नाम को स्थान पर मेरठ इन्सटीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, बागपत क्रॉसिंग, मेरठ बाईपास मेरठ द्वारा सचिव श्री विष्णु शरण पुत्र स्व० श्री चन्द्रसेन अग्रवाल निवासी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर्स, बेगम डिज, मेरठ होना स्वीकार करते हैं। अतः भविष्य में रिकार्ड में मेरठ इन्सटीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, बागपत क्रॉसिंग, मेरठ बाईपास, मेरठ द्वारा सचिव श्री विष्णु शरण पुत्र स्व० श्री चन्द्रसेन अग्रवाल निवासी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर्स, बेगम डिज, मेरठ को ही खरीदार को सही पक्ष के रूप में पढ़ा व समझा जाये तथा इस सुदिक पत्र से उक्त विक्रय पत्र की मान्यता पर कोई असर नहीं पड़ता है और यह क्लियर विक्रय पत्र दि० 16.9.2005 का पार्ट माना जाये। अतः यह क्लियर लिख दिया कि प्रमाण रहे और समूह पर कान जाये। इति।

(Handwritten notes in Hindi)
 म 2 5 T
 श्री विष्णु शरण
 सचिव

(Signature)

(Signature)



श्री श्रीमद्दीन शं० श्री अहमदुल्लाह अली
 स्वर्गीय मेरठ

(Signature)

दिनांक : 3.10.2005 मसखिरा विपिन कुमार वर्मा एडवोकेट, मेरठ


(Signature)

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विश्लेषक का नाम व पता : डॉ. विमल कुमार शर्मा, दिल्ली

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Handwritten signature



श्रेणी का नाम व पता : एच.डी. शर्मा

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Handwritten signature




धर्म उपलब्ध - जी.जे. फोटी स्टेट कचहरी मेरठ। फोन नं० 9412105014

For Educational & Social Welfare Society
V. Saini
Pr...



आय विनांक ३१/१२/०५ को मूल प्रवेश व
सत्य प्रतिज्ञा के बालक संख्या ३०२५
के पृष्ठ ३४३ पर आय संख्या ३१००
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

आय रजिस्ट्रार मेरठ इलीय



Handwritten signature

124400



ओर,
चिप्य-वन


- चिप्य-मूल्य अंश:- 1,57,000/- रुपये ।
- मालियत बाजारी अंश:- 1,57,000/- रुपये ।
- स्ताम्य मुक्त आवास मुक्त तहिल :- 15,700/- रुपये ।
- 1- चिप्यीत भूमि भूमिदारी नरतीय हेम में स्थित है ।
- 2- चिप्यीत भूमि भूमिदारी कृषि भूमि है । तथा अन्य प्रयोजनकेतु चिप्य ती गयी है ।
- 3- चिप्यीत भूमि भूमि का तहिल रेट 16,50,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है । चिप्यीत भूमि भूमिदारी राश्ट्रीय राज्यमार्ग, व जनमदीय मार्ग व तहिल मार्ग पर स्थित नहीं है ।
- 4- चिप्येता आदिवासी अनुपित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित नहीं है ।
- 5- चिप्यीत भूमि का हेमस 0.0950 हेक्टेयर है ।
- 6- चिप्यीत भूमि में कोई बान या वेड नहीं है ।
- 7- स्ताम्य अधिनियम की धारा 27 (1) का साथ पूर्वक बलन किया गया है ।

Handwritten signatures and stamps:
 T. K. Kulkarni, Sarojini Agarwal, V. S. Agarwal, T. Kulkarni



Signature

124401



एवं कि डा.0 प्रो.मृ.का.श.पु.न. स्वामी कबीरचन्द व सी.मि.त. सरदेसाई अश्रवात प.स.ल. की डा.0 प्रो.मृ.का.श.पु.न. निवासीगणा का 1971-72 अकाउन्ट बचार्ज, डेपॉजिट, सेवक व सी.मि.त. उच्च अश्रवात प.स.ल. की विष्णु वरुण निवासी का 1971-72 अकाउन्ट बचार्ज सेठ ----- प्रथमपक्ष विज्ञेता।

व

सेठ वन्तटीयूट अफि इंजीनियरिंग एण्डटेलीग्राफी का 1971-72 अकाउन्ट बचार्ज सेठ द्वारा तपिय की विष्णु वरुण पु.न. स्वामी चन्द्रसेन अश्रवात निवासी का 1971-72 अकाउन्ट बचार्ज सेठ ----- द्वितीयपक्ष विज्ञेता।

जो कि आराजी भूमि भूमिदारी रजिस्ट्री 0-0950 हेक्टेयर क्षरत नम्बर 16। रजिस्ट्री 0-380 हेक्टेयर लिखत ग्राम रामपुर बाघटी परगना व तहसील व जिला मेरठ के स्थानिक स्वामी व कायतकार व भूमिदर लगे पूर्व विद्युत अधिकारी प्रथमपक्ष विज्ञेतागण उपरोक्त है । प्रथमपक्ष विज्ञेतागणने उपरोक्त आराजी को द्वारा विद्युत वन दिनांक 15-12-2003 ई.को प्रेम सिंह से प्रु की थी । जिला रजिस्ट्री की वही नं.। 875 23 15 के प्रुल 395/412 में नम्बर 11215 पर कायतकार उप-निर्देश, 11/2/75

Signature

Signature



124402

OFFICE OF THE CHIEF TREASURY OFFICER 12 SEP 2005 MEERUT

-3-

श्रीमान, मेरठ सर्व प्रथमका विद्येतामन का नाम राजश्व अंभोज में खसारी के रूप में दर्ज पंजीकृत रखा है उपरोक्त विद्येतामन भूमि भूमिदारी आज की तिथि तक कुल 5000 रूपये के रूप में भर आदि से मुक्त तथा रहित है। और प्रथमका विद्येतामन को बहीखत होने पूर्ण स्वामी उपरोक्त विद्येतामन भूमि भूमिदारी को विद्येतामन आदि द्वारा वस्तु नाशित करने समस्त स्वामित्व एवं अधिकार अधिकार प्राप्त है कोई कौनसे भी प्रकार का कोई प्रथमका विद्येतामन के विद्येतामन में बाध नहीं है। प्रथमका विद्येतामन ने उपरोक्त भूमि भूमिदारी की जमानत पर कोई भी बाधकार नहीं है, पार्टी या मोतायदी या किसी विदेशी संस्था सरकारवागीर नजारी से प्राप्त नहीं है रखा है, प्रथमका विद्येतामन को विद्येतामन भूमि भूमिदारी का मुल्य का सम्य विद्येतामन से प्रति उचित रखा है, विद्येतामन ने ही प्रथमका विद्येतामन को दूर दूर नाम है। अतः प्रथमका ने अपनी मातम कुल एक व तिले में से उपरोक्त भूमि भूमिदारी समस्त 0-0950 हेक्टेयर को अपने समस्त अधिकार कायत व भूमि भूमिदारी स्वामित्व एवं अधिकार आदि सहित बिना छोड़े हुए किसी भी अधिकार के पाठे उपका वर्ग

Handwritten signatures and official stamps of the Chief Treasury Officer, Meerut.



-4-





इस चिट्ठे चिट्ठे फिलेड में विद्यागता हो अर्थात् न विद्या गया हो, एवं उपरानुसार स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ बौद्धियों की अवस्था में चिट्ठे कुल अंश 1,57,000/- एवं ताकतगतावन हजार रुपये कि आधे धिरे अंश 78,500/-उपरोक्त हजार पचास सौ रुपये होते हैं। उपरानुसार में हस्त मेरठ इन्स्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 47/एम-1 जवाहर क्वार्टर मेरठ द्वारा तयिष की विद्ययाध्यायन स्वामी चन्द्र सेन अग्रवाल निवासी 47/एम-1जवाहर क्वार्टर मेरठ द्वितीयपक्ष ज्ञेता महोदय को चिट्ठे का दिया और देय जाता और गमस्त चिट्ठे कुल पृथक्पक्ष चिट्ठेतागण ने द्वितीयपक्ष ज्ञेता महोदय ने निम्नानुसार प्राप्त करके पृथक्पक्ष चिट्ठेतागण ने उक्त भूमिभूमिहरी को अपने गमस्त अधिकार कायत व भूमिहरी स्वामित्व तथा अधिकार आदि में निकालकर चिट्ठीत भूमि भूमिहरी को ज्ञेतामहोदयके अधिकार कायत व भूमिहरी स्वामित्व तथा अधिकारआदि में दे दी है और द्वितीयपक्ष ज्ञेता महोदय को उपरोक्त भूमि भूमिहरी का वास्तविक स्वामी व पूर्णतःअधिकारी बना दिया है । पृथक्पक्ष चिट्ठेतागण ने उपरोक्त चिट्ठीत भूमि भूमिहरी का कब्जा माँके पर द्वितीयपक्ष ज्ञेता महोदय को सुपूर्द कर दिया है द्वितीयपक्ष ज्ञेता महोदय उपरोक्त भूमि भूमिहरी को अपने कब्जे में लाने तथा उसको अपनी कब्जानुसार इस्तेमाल करने के अधिकारी रहेंगे । वास्तविक परिवर्तन कायतीकत हुआ कि यह चिट्ठे पत्र पूर्णतःजही एवं कृतान योग्य है । द्वितीयपक्ष ज्ञेता महोदय को अधिकार होगा कि यह राजस्व अभिलेखों में पृथक्पक्ष चिट्ठेतागण के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराते धिने पृथक्पक्ष चिट्ठेतागण को कोई सगाज नहींहोगा यदि

Ambedkar *Sanjini Aggarwal* *Usha Aggarwal* *Sanjini*



-5-

नाम परिवर्तन के विषय में कोई ब्याज या ब्याज हलकी देना बडेगा तो प्रथमशः विद्वेतागण देने के लिये बाध्य होंगे । अब प्रथमशः विद्वेतागण उनके उत्तराधिकारीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उक्त विद्वीत भूमि भूमिदारी से रेम नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा । प्रथमशः विद्वेतागण या उनके किसी भी सम्बन्धी, द्वारा उपरोक्त विद्वीत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद करेगा और उस वादका उक्त विद्वीत भूमि भूमिदारी अथवा उसका अंश जेगा महोदय के अधिकार कायत व भूमि दारी स्वामित्व एवं अधिकारजादि से निकल बायेगा वा विद्वय वन्धी विद्वीत में कोई झी पायी जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारागत सिद्ध हो बायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में जेगा महोदय को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विद्वय वृत्त अथवा उसका अंश ऐसी दशा हो क्षति व छर्माईनामा मधुद कानुनी उस समय प्रचलित ब्याज व वाद चय सहित न्यायालय द्वारा जित प्रकारभी उचित जाने प्रथमशः विद्वेतागण या उनके उत्तराधिकारीगण की समस्त पत व अपत सम्पत्ति से जित प्रकार भी उचित जाने वृत्त करते इसमें प्रथमशः विद्वेतागण या उनके उत्तराधिकारीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति न होगी । अतः यह विद्वय वन सिद्ध दिया ता कि मनदही और चस्त बलत पर काम आवे । इति ।।

64

100Rs



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 SEP 2005

419724

-5-

MEERUT

विद्यार्थी द्वारा प्राप्त नगरीय विद्यालय

- 1- अंकन 78,500/- अटल हवार दो तो रूपये द्वारा एक विद्या बैंक संख्या 413194 पंजाब नेशनल बैंक, मेरठ दिनांक 16-9-2005 ई 00 द्वारा प्रेषण विद्यार्थी ने प्राप्त किया ।
- 2- अंकन 39,250/- अनालिखित हवार दो तो रूपये द्वारा एक विद्या बैंक संख्या 413195 पंजाब नेशनल बैंक, मेरठ दिनांक 16-9-2005 ई 00 द्वारा प्रेषण विद्यार्थी ने प्राप्त किया ।
- 3- अंकन 39,250/- अनालिखित हवार दो तो रूपये द्वारा एक विद्या बैंक संख्या 413197 पंजाब नेशनल बैंक, मेरठ दिनांक 16-9-2005 ई 00 द्वारा प्रेषण विद्यार्थी ने प्राप्त किया । कुल योग:- अंकन 1,57,000/- एक लाख सत्तावन हवार रूपये ।

दिनांक:- 16-9-2005 ई 00 अनालिखित श्री विपिन कुमार वर्मा, सडपोस्ट, मेरठ 11

(Handwritten signature)

For Educational & Social Welfare Society

V. Sanyal
President

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विश्लेषक का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Ambedkar



रजिस्ट्रार का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Ranjitgarwal



V. Laxmi

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स


प्रस्तुतकर्ता/विद्यार्थी का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Ambedkar



पेला का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Sarajit Kumar




V. Laxmi

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विश्लेषक का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Ample



प्रेरक का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Ample



V. S. ...

Handwritten notes on the right margin, including the words 'सिद्ध' and 'सही'.



OFFICE OF THE
CHIEF TREASURY OFFICER
14 SEP 2005
MEERUT

0100 706327



Pran Tiwana
Agent

उ
विक्रय पत्र

विक्रय मूल्य अंकन :- 8,70,000/- रुपये।
भालियत बाजारी अंकन :- 8,70,000/- रुपये।
स्टाम्प शुल्क आवास शुल्क सहित :- 87,000/- रुपये।

1. विक्रीत भूमि भूमिधरी नगरीय क्षेत्र में स्थित है।
2. विक्रीत भूमि भूमिधरी कृषि भूमि है। तथा अन्य प्रयोजन हेतु विक्रय की गयी है।
3. विक्रीत भूमि भूमिधरी का सर्किल रेट 18,50,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। विक्रीत भूमि भूमिधरी राष्ट्रीय मार्ग व जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
4. विक्रता आदिवासी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
5. विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल 0.4060 हेक्टेयर है।
6. विक्रीत भूमि में कोई बाग या पेड़ नहीं है।

Carbeds

Pran Tiwana



Pran Tiwana & Social Welfare Society

V. Sanyal

Treasurer

कसब... दि... पुका... का वाम...
 को पाने... विषय विवाह का।
 (19/11)


14-11-1955
 बंदागा, 1955

670000

5000 20 5000 1000

ओमप्रकाश व विमला
 अकाउंट एन्टरप्राइज

10/11/55

के मध्य



कसब


ओमप्रकाश व विमला
 अकाउंट एन्टरप्राइज

670000

अकाउंट एन्टरप्राइज

विमला अकाउंट एन्टरप्राइज







OFFICE OF THE
CHIEF TREASURY OFFICER

14 SEP 2005

MEERUT

0100 706325

8. स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्य पूर्वक पालन किया गया है।

हम कि सिटी एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर, बेगम ब्रिज मेरठ द्वारा सकेटी 200 ओम प्रकार पुत्र स्वो श्री फकीर चन्द निवासी 47/एम-4, जवाहर क्वार्टर, बेगम ब्रिज मेरठ, _____ प्रथम पक्ष (पिछला)

व

मेरठ इन्सटीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर मेरठ द्वारा सचिव श्री विष्णु शरण पुत्र स्वो श्री चन्दसेन अग्रवाल निवासी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर मेरठ _____ द्वितीय पक्ष (पिछला)

जो कि आराजी भूमिधरी रकबई 0.4050 हेक्टेयर खसरा नं० 100 रकबई 0.472 हेक्टेयर स्थित ग्राम रामपुर पावटी परगना तहसील व जिला मेरठ के व्यक्तिगत स्वामिनी तथा पूर्ण विरह्य अधिकारिणी प्रथम पक्ष सोसायटी उपरोक्ता है। प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में स्वामी के

(Signature)

(Signature)

Educational & Social Welfare Society

H. S. Saini

5000Rs.



रूप में दर्ज किया गया है। उपरोक्त विद्वीत भूमि भूमिधारी आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार की ऋण तथा भार आदि से मुक्त तथा रहित है और प्रथम पक्ष सोसायटी को बहिष्कृत होने पूर्व स्वामी उपरोक्त विद्वीत भूमि भूमिधारी को विक्रय पत्र आदि द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त स्वामित्व एवं आधिपत्य अधिकार प्राप्त है, कोई वैधानिक बूटि अथवा दोग प्रथम पक्ष सोसायटी के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष सोसायटी ने उपरोक्त भूमि भूमिधारी की जमानत पर कोई कर्जा या उधार किसी बैंक, पार्टी या सोसायटी या किसी वित्तीय संस्था सरकारी या गैर सरकारी से प्राप्त नहीं ले रखा है। प्रथम पक्ष सोसायटी को विद्वीत भूमि भूमिधारी का मूल्य इस समय द्वितीय पक्ष से अति उचित मिल रहा है विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष सोसायटी को पूरा पूरा लाभ है। अतः प्रथम पक्ष ने अपने सातिम कुल हक व हिस्से में जो उपरोक्त भूमि भूमिधारी रकम 0.4060 हेक्टेयर को अपने समस्त अधिकार वास्तु व भूमिधारी स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि सहित बिना छोड़े हुए किसी भी अधिकार को चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो या न किया गया हो स्वयं इच्छानुसार स्वस्थ गरिमाक व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में

Handwritten signature

Handwritten signature



The Educational & Social Welfare Society

V. Lakshmi

President



24507

OFFICE OF THE
CHIEF TREASURY OFFICER
17 Oct 2005
MEERUT

(4)

विक्रय मूल्य अंकन 6,70,000/- छ लाख सत्तर हजार रुपये कि अर्धे जिसके अंकन 3,35,000/- तीन लाख पचीस हजार रुपये होते है के उपरलक्ष मे इसी मेरठ इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर मेरठ द्वारा सचिव श्री विष्णु सरन पुत्र स्व. श्री चन्दसेन अग्रवाल निवारी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर मेरठ द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय को विक्रय कर दी और बेच डाली और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष सोसायटी ने द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय से निम्नानुसार प्राप्त करके प्रथम पक्ष सोसायटी ने उक्त भूमि भूमिधारी को अपने समस्त अधिकार कास्त व भूमिधारी स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि से निकाल कर विक्रीत भूमि भूमिधारी को क्रेता महोदय के अधिकार कास्त व भूमिधारी स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि में दे दी है और द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय को उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधारी का वास्तविक स्वामी व पूर्णतः अधिकारी बना दिया है। प्रथम पक्ष सोसायटी ने उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधारी का कच्चा भौके पर द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय को सुपुर्द कर दिया है। द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय उपरोक्त भूमि भूमिधारी को अपने प्रयोग में लाने तथा उसको अपनी

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





71

425018

OFFICE OF THE
CHIEF COMMISSIONER

[5]

इच्छानुसार इस्तेमाल करने के अधिकारी रहेंगे। वास्तविक प्रतिवर्तन कार्योन्तिक हुए कि यह विक्रय पत्र पूर्णतः सही एवं प्रचलन योग्य है। द्वितीय पक्ष जेता महोदय को अधिकार होगा कि वह राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष सोसायटी के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा ले जिससे प्रथम पक्ष सोसायटी को कोई एतराज नहीं होगा यदि नाम परिवर्तन के विषय में कोई बयान या बयान हल्की देना पड़ेगा तो प्रथम पक्ष सोसायटी देने को लिये बाध्य होंगे। अब प्रथम पक्ष सोसायटी उनके उत्तराधिकारीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उक्त विक्रीत भूमि भूमिधारी से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। प्रथम पक्ष सोसायटी या उनके किसी सगे सम्बन्धी द्वारा उपरोक्त विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद करेगा और उस वाद का उक्त विक्रीत भूमि भूमिधारी अथवा उसका अंश जेता महोदय के अधिकार कायल व भूमिधारी स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रय पत्र की मिलकियत में कोई कमी पायी जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक कैथानिक दशा में जेता महोदय को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो मय शक्ति व स्वर्घा बैनामा मय सुद कानूनी, उस समय प्रचलित ब्याज व वाद व्यय सहित

Amber

5/2/18



State Educational & Social Welfare Society

V. S. Sahu

1000Rs.



1156125

14 SEP 2005
 MENDRY

[6]

न्यायालय द्वारा जिस प्रकार भी उचित जाने प्रथम पक्ष सोसायटी की सम्पत्त व अथवा सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल कर ले इसमें प्रथम पक्ष सोसायटी या उनका अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व ऐतराज न होगा, अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया ताकि सन्द हो और वक्त जरूरत काम आवे।।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Pris Educational & Social Welfare Society

V. S. Saini


...

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/पिनर का नाम व पता : विष्णु शर्मा

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

राम



प्रेता का नाम व पता : श्री विष्णु शर्मा

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

अनंदा





क्रमांक १५११०५ को मूल प्रलेख व
सत्य प्रमाणित करने हेतु... संख्या ३०१३
की पृष्ठ ३२ व ३३ पर
एक रजिस्ट्रार द्वारा किया गया।

एक रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

45



OFFICE OF THE
CHIEF TREASURY OFFICER
14 SEP 2005
MEERUT

0100 706327



Handwritten signature

ई
विक्रय पत्र

- विक्रय मूल्य अंकन :- 6,70,000/- रुपये।
- मालियत बाजारी अंकन :- 6,70,000/- रुपये।
- स्टाम्प शुल्क आवास शुल्क सहित :- 87,000/- रुपये।
- 1. विक्रीत भूमि भूमिधरी नगरीय क्षेत्र में स्थित है।
- 2. विक्रीत भूमि भूमिधरी कृषि भूमि है। तथा अन्य प्रयोजन हेतु विक्रय की गयी है।
- 3. विक्रीत भूमि भूमिधरी का सर्किल रेट 18,50,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। विक्रीत भूमि भूमिधरी राष्ट्रीय मार्ग व जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
- 5. विक्रेता आदिवासी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
- 6. विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल 0.4050 हेक्टेयर है।
- 7. विक्रीत भूमि में कोई बाग या पेड़ नहीं है।

Handwritten signature

Handwritten signature



International & Social Welfare Society
V. Lalay
Treasurer

प्रमाणित किया गया कि...
 प्रमाणित किया गया कि...
 प्रमाणित किया गया कि...
 प्रमाणित किया गया कि...
 प्रमाणित किया गया कि...

अंक 670000

2000 5000 1000

आगे प्रमाणित किया गया कि...

16/11/15

के अध्यक्ष

अंक 670000

प्रमाणित किया गया कि...



आगे प्रमाणित किया गया कि...

अंक 670000

प्रमाणित किया गया कि...

प्रमाणित किया गया कि...

के अध्यक्ष





OFFICE OF THE
CHIEF TREASURY OFFICER
14 SEP 2005
MEERUT

0100 706325

8. स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्य पूर्वक पालन किया गया है।

हम कि सिटी एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर, बेगम ब्रिज मेरठ द्वारा सफेदी डा0 ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री फकीर चन्द निवासी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर, बेगम ब्रिज मेरठ..... प्रथम पक्ष (पिठोला)

व

मेरठ इन्सटीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर मेरठ द्वारा सचिव श्री विष्णु शरण पुत्र स्व0 श्री चन्द्रसेन अग्रवाल निवासी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर मेरठ..... द्वितीय पक्ष (ठोला)

जो कि आराजी नुमिबरी रकमई 0.4050 हेक्टयर खसरा नं0 160 रकमई 0.472 हेक्टयर स्थित ग्राम रामपुर पावटी परगना तहसील व जिला मेरठ के व्यक्तिगत स्वामिनी तथा पूर्ण विद्याय अधिकारिणी प्रथम पक्ष सोसायटी उपरोक्ता है। प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में स्वामी के

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

[Handwritten signature]
[Circular stamp]
The Educational & Social Welfare Society
P. Lalwani
Treasurer



124396



DR. K. K. K.
Dr. K. K. K.
Dr. K. K. K.

रुप में दर्ज किया गया है। उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधारी आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त तथा रहित है और प्रथम पक्ष सोसायटी को बहसियत होने पूर्व स्वामी उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधारी को विक्रय पत्र आदि द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त स्वामित्व एवं आधिपत्य अधिकार प्राप्त है, कोई वैधानिक जुटे अथवा दोग प्रथम पक्ष सोसायटी के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष सोसायटी ने उपरोक्त भूमि भूमिधारी की जमानत पर कोई कर्जा या उधार किसी बैंक, पार्टी या सोसायटी या किसी वित्तीय संस्था सरकारी या गैर सरकारी से प्राप्त नहीं ले रखा है। प्रथम पक्ष सोसायटी को विक्रीत भूमि भूमिधारी का मूल्य इस समय द्वितीय पक्ष से अति उचित मिल रहा है विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष सोसायटी को पूरा फूला लाभ है। अतः प्रथम पक्ष ने अपने सालिम कुल हक व हिस्से में से उपरोक्त भूमि भूमिधारी रकम ₹ 0.4050 हेक्टेयर को अपने समस्त अधिकार वास्तव व भूमिधारी स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि सहित बिना छोड़े हुए किसी भी अधिकार के चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो या न किया गया हो स्वयं इच्छानुसार स्वस्थ मरिथक व स्वस्थ इन्दियों की अवस्था में

T. Sankar

T. Sankar



The Educational & Social Welfare Society

V. Salem

Director



124307

OFFICE OF THE
CHIEF TREASURY OFFICER
12 Sep 2005
MEERUT

(4)

विक्रय मूल्य अंकन 6,70,000/- छः लाख सत्तर हजार रुपये कि अग्रे जिसके अंकन 3,35,000/- तीन लाख पैंतीस हजार रुपये होते हैं के उपलब्ध में हस्तो मेरठ इन्सटीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर्स मेरठ द्वारा सचिव श्री विष्णु शरण पुत्र स्वः श्री चन्दसेन अग्रवाल निवासी 47/एम-1, जवाहर क्वार्टर्स मेरठ द्वितीय पक्ष जेता महोदय को विक्रय कर दी और बेच डाली और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष सोसायटी ने द्वितीय पक्ष जेता महोदय से निम्नानुसार प्राप्त करके प्रथम पक्ष सोसायटी ने उक्त भूमि भूमिधरी को अपने समस्त अधिकार कास्त व भूमिधरी स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि से निकाल कर विक्रीत भूमि भूमिधरी को जेता महोदय के अधिकार कास्त व भूमिधरी स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि में दे दी है और द्वितीय पक्ष जेता महोदय को उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी का वास्तविक स्वामी व पूर्णतः अधिकारी बना दिया है। प्रथम पक्ष सोसायटी ने उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी का कब्जा नौके पर द्वितीय पक्ष जेता महोदय को सुपुर्द कर दिया है। द्वितीय पक्ष जेता महोदय उपरोक्त भूमि भूमिधरी को अपने प्रयोग में लाने तथा उसको अपनी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





424378

[5]

OFFICE OF THE
CHIEF TOLNIGHT

इच्छानुसार इस्तोमाल करने के अधिकारी रहेंगे। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ कि यह विक्रय पत्र पूर्णतः सही एवं प्रचलन योग्य है। द्वितीय पक्ष जेंता महोदय को अधिकार होगा कि वह राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष सोसायटी के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा ले जिसमें प्रथम पक्ष सोसायटी को कोई एतराज नहीं होगा यदि नाम परिवर्तन के विषय में कोई बयान या बयान इल्की देना पड़ेगा तो प्रथम पक्ष सोसायटी देने के लिये बाध्य होंगे। अब प्रथम पक्ष सोसायटी उनके उत्तराधिकारीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। प्रथम पक्ष सोसायटी या उनके किसी सगे सम्बन्धी द्वारा उपरोक्त विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद करेगा और उस वाद वश उक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी अथवा उसका अंश जेंता महोदय के अधिकार कास्त व भूमिधरी स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रय पत्र की मिलकियत में कोई कमी पायी जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक कैथानिक दशा में जेंता महोदय को अधिकार होगा कि वह अपना सभस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो मय क्षति व खर्चा बैनाम मय सूद कानूनी, उस समय प्रचलित ब्याज व वाद ज्यय सहित

Amber

V. Saini



Shri Educational & Social Welfare Society

V. Saini



056026

14 SEP 2005
 MEERUT

[6]

न्यायालय द्वारा जिस प्रकार भी उचित जाने प्रथम पक्ष सोसायटी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल कर लें इसमें प्रथम पक्ष सोसायटी या उनके अधिकारीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व ऐतसाज न होगा, अतः यह विद्वय पत्र लिख दिया ताकि सनद हो और वकत जरूरत काम आवे। इति ।।

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





1000Rs



066027

14 SEP 2005
MUMBAI

[7]

विवरण प्राप्त समस्त विक्रय

1. अंकन 8,70,000/- छः लाख सत्तर हजार रुपये द्वारा एक बिना बैंक संख्या 413196 दिनांक 16-9-2005ई0 मीसूमा पंजाब नेशनल बैंक मेरठ प्रथम पक्ष विक्रेता सोसायटी ने बंटा से प्राप्त किये।

[Handwritten signatures and stamps]
2005-09-16
413196 - 2005/06/01
2005/06/01

दिनांक :- 16-9-2005 ई0 मराविदा श्री विपिन कुमार वर्मा एडवोकेट मेरठ।

[Handwritten signature]

The Educational & Social Welfare Society

V. S. L. M.


Treasurer

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/दियेता का नाम व पता : वि. राजु शर्मा

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Right



देता का नाम व पता : श्री. राम शर्मा

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Left





नाम दिनांक 16/9/05 को मूल प्रलेख व
सत्य प्रमाणित करने के लिये संख्या 30/3
के पृष्ठ 37/52 पर दिनांक 27/4
पर रजिस्ट्रार के पास है।

राज्य रजिस्ट्रार के पास है।